

उत्तराखण्ड में बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के मुताबकि, [लोकसभा चुनाव](#) खत्म होने के बाद [उत्तराखण्ड पुलिस](#) दूसरे राज्यों से आकर [राज्य में रहने वाले लोगों](#) की पहचान की पुष्टि के लिये सत्यापन अभियान फरि से शुरू करेगी।

मुख्य बदि:

- इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी लोगों की साख की जाँच करना है।
 - यह बात सामने आई है कि राज्य के बाहर के लोग राज्य में आपराधिक वारदातें करते हैं और चले जाते हैं। कई बार आतंकियों को उत्तराखण्ड समेत अन्य राज्यों की पुलिस ने भी पकड़ा है।
- अधिकारियों के अनुसार, 4 जून 2024 को परणाम घोषित होने के बाद [भारत नरिवाचन आयोग](#) द्वारा लगाई गई [आदरश आचार संहिता \(MCC\)](#) हटने के बाद सत्यापन अभियान पुनः शुरू कया जाएगा।
 - उत्तराखण्ड में 19 अप्रैल 2024 को सात चरण के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हुआ।

आदरश आचार संहिता

- MCC एक सर्वसम्मत दस्तावेज है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नयित्ति रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह नरिवाचन आयोग को [संवधान के अनुच्छेद 324](#) के तहत दिये गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मद करता है, जो उसे संसद और राज्य वधानमंडलों के लिये स्वतंत्र तथा नषिपक्ष चुनावों की नगरानी एवं संचालन करने की शक्ति देता है।
- MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है।
- संहिता लागू रहने के दौरान सरकार [किसी वत्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती](#), सड़कों या अन्य सुवधाओं के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिक्ती कर सकती है।